संख्या-38/2017/आर-119/26-3-2017-100(115)/99

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 30 मार्च 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-811 के अंतर्गत आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-234/25/ज.जा.वि/16-17, दिनांक-14.12.2016, पत्रांक-279/15/ज.जा.वि/16-17, दिनांक-10.01.2017द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान सं0-81 के आयोजनेतर पक्ष के लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण" में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि में से संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार रूपया-4.43 लाख (रूपये चार लाख तैतालिस हजार मात्र) धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(3) उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 की अशासकीय संख्या-ई-3-222/दस-2017, दिनांक-30.03.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-38/2017/आर-119(1)/26-3-2017-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ

3- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3

4- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2

5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

6- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–38/2017/आर–119/26–3–2017–100(115)/99, दिनांक–30 मार्च 2017

का संलग्नक

अनुदान संख्या–81 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक/योजना/ मद का नाम	आय–व्ययक प्राविधान वर्ष 2016–17	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि जिसकी स्वीकृति निर्गत की जा रही
राजस्व लेखा 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यपिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेतर–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
15–अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	105	52	53
17–जनजाति उपयोजना– 1701–एकीकृत विकास योजना, लखीमपुर खीरी 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	330	165	165
1702–जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम–थारू विकास परियोजना गोण्डा 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	1150	575	150
1703–अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता– 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	150	75	75
कुल योग	1735	867	443

(रूपये चार लाख तैतालिस हजार मात्र)

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।